


आदेश की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
15.03.2023	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी Manager/In-charge, M/S Reliance limited, Smart Point, M.T.C. Tower, Bara Gamharia, Ward No 3 उपस्थित है। इनके द्वारा शपथ पत्र सं०-752, दिनांक 15.03.2023 के द्वारा शपथ पूर्वक निम्न घोषणा किये हैं -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यह कि, Manager/In-charge, M/S Reliance limited, Smart Point, M.T.C. Tower, Bara Gamharia, Ward No 3, जिला- सरायकेला-खरसावाँ का निवासी हैं। 2. इनके द्वारा क्षमा याचना की गई है एवं भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है। <p>Food safety and Standards Act, 2006 के धारा 52(1) में वर्णित है कि " Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees."</p> <p>इसी प्रकार धारा 52 (2) में वर्णित है कि " The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.</p> <p>Food safety Officer के अनुसार दिनांक- 07.08.2021 को दुकान से Chilly Powder का सैम्पल जाँच हेतु लिया गया था। उस समय लिया गया सैम्पल की कुल मात्रा लगभग 10,000/- (दस हजार) रू० की होगी।"</p> <p>अतएव उक्त के आलोक में Manager/In-charge, M/S Reliance limited द्वारा दिये गये क्षमायाचना के आलोक में ऐसी पुनरावृत्ति न होने के शर्त पर 5,000/- (पाँच हजार) रू० निर्धारित शीर्ष -</p> <p>मुख्य शीर्ष-0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य उप-मुख्यशीर्ष -04-लोक स्वास्थ्य लघु शीर्ष -104-फीस और अर्धदण्ड आदि उप शीर्ष -01-शुल्क एवं जुर्माने विस्तृत शीर्ष -01-प्राप्तियां इकाई-01-प्राप्तियां में एक सप्ताह के अंदर जमा करने हेतु दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही Food Safety Officer एवं Manager/In-charge, M/S Reliance limited को आदेश दिया जाता है कि संबंधित खाद्य पदार्थ को नष्ट कर सूचित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक- 15/03/2023 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  15/03/23 अपर उपायुक्त-सह- न्याय निर्णयन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ। </p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
------------------------------	--------------------------------	---

25.03.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रतिवादी के द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई है।

अभिलेख दिनांक 26.04.2023 को उपस्थापित करें।

(Signature)
15/3/23

अपर उपायुक्त-सह-न्याय निर्णयन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ।

26.04.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रतिवादी के द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई है।

अतः प्रतिवादी को जुर्माने की राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 13.05.2023 को उपस्थापित करें।

(Signature)
13/5/23

अपर उपायुक्त-सह-न्याय निर्णयन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ।

15/05/23

अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रतिवादी के द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई है।

अतः प्रतिवादी को जुर्माने की राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ...05.05/2023 को उपस्थापित करें।

(Signature)
13/05/23

अपर उपायुक्त-सह-न्याय निर्णयन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ।

07.06.2023

~~अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रतिवादी के द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई है।~~


~~अतः प्रतिवादी को जुर्माने की राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करें।~~

~~अभिलेख दिनांक ...05.05/2023 को उपस्थापित करें।~~

~~अपर उपायुक्त-सह-न्याय निर्णयन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ।~~

अभिलेख दिनांक - 13.06.2023 को उपस्थापित करें।

(Signature)
13/06/23

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
13/06/2023	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी के द्वारा सूचित किया गया है कि जुर्माने की राशि - 5000/- (पांच हजार) रुपये ई-चालान GRN No-2317571617, दिनांक- 06.06.2023 के माध्यम से जमा कर दी गई है।</p> <p>अतः अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> अपर उपायुक्त-सह- न्याय निर्णयन पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ।</p>	